

रोकथर VLS कोणपकाश

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
22-9-17	<p>पन्नापली केस (सी/रजिस्ट्री रिपोर्ट) को अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्ट्रार के जोर/अपील के साथ प्राप्त स्थागत प्रार्थना पत्र पर अन्वेषण के अपीला-2 की एक पक्षीय सदस्य सुनी गई पन्नापली को अवलोकन किया गया। यहाँ 20 वर्षीय शिवा के, जिसकी लतात कारणी पर कश्चिनल न्यायालय द्वारा स्थागत अन्वेषण किया गया है जो कि नती नीति के सिद्धि अनुसार मान्य है। प्रकार के तत्प भी प्रथम दृष्टया प्रका स्थागत के पक्ष में प्रतीत होते हैं। अतः पन्नापली कश्चिनल न्यायालय के सदस्य कैलेमर वागधूर के प्रति उद्दिष्ट कले हुए विदेश किए जाते हैं कि उनके यहाँ लम्बित प्रकार आदर 212 RTA अन्वेषण कोणपकाश VLS रोकथर में दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करे। लता लक्ष्मी के सम्बन्ध में पुनः विचार कर निर्णय लेके। तबतक के लिए कश्चिनल न्यायालय सदस्य कैलेमर वागधूर के अपीलाचीन अन्वेषण के 24-4-2017 के स्थगित किया जाता है। पन्नापली केसल सुनार होकर लम्बित के को-न/जि/1917 तकपील इंग्लिश दफ्तर है।</p>

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर